JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज निकायों में बिहार के महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

ABHINAS KUMAR PRASAD

RESEARCH SCHOLAR, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, RKDF UNIVERSITY, RANCHI, JHARKHAND

सारांश : यह अध्ययन पंचायती राज निकायों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रेखांकित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र में पंचायती राज निकायों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से सम्बन्धित सभी पहलुओं को बड़े ही प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। शहरी और स्थानीय सरकारी संगठनों के राजनीतिक पहलू और संस्कृति में असमानता के कारण महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीति में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों में सक्रिय नहीं हैं। तथापि, ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में विशेषकर निम्नतम स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन विषय अध्ययनों से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, संसद, स्थानीय निकाय, सरकारी संगठन, भारतीय संविधान आदि।

संसद में नया ग्राम पंचायती राज कानून सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के पास 30ः सीटें हों। स्वाभाविक रूप से, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाएं राजनीतिक रूप से अधिक शिक्षित हो गई हैं। लेकिन शुरुआती स्थितियां भी हैं। छवि उतनी गुलाबी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर शोध से पता चला है कि वे इतने प्रेरक नहीं हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर एकत्र करना किसी बैठक में भाग लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकांश नागरिक स्थानीय राजनीति या बैठकों के निर्णयों को नहीं जानते हैं। रूप कमोबेश प्रतीकात्मक है। लेकिन महिलाओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक जाग–क बनाकर, जैसे जागरूकता शिविर, आदि इन मुद्दों को दूर किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक और नागरिक मामलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए एक समग्र प्रयास आवश्यक है (अलीम, 1996) ।

भारतीय संविधान ने दिखाया है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं लेकिन शक्तिशाली पितृसत्तात्मक प्रथाओं से वंचित रह गई हैं। स्वीकार्य महिला व्यवहार की भारतीय परिभाषा की उत्पत्ति 200 ईसा पूर्व मनु के कानूनों में हुई है। केवल एक जवान लड़की, एक जवान

औरत, और यहां तक कि एक बुजुर्ग लड़की भी अपने घर में अलग से कुछ नहीं कर सकती। जब आप महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो आप भयानक स्थिति देख सकते हैं अभिभूत, अप्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अनुपचारित, कमजोर, कम भोजन और खराब स्वास्थ्य ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से महिलाएं अप्रशिक्षित होती हैं। यह उनमें से कई के कारण है।

भारत में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की सबसे बड़ी आबादी है। सामाजिक मानदंडों और हिंसा के डर के कारण महिलाएं और लड़कियां पुरुषों की तुलना में बहुत कम शिक्षित हैं। महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं और उनका जीवन पुरुषों की तुलना में अधिक जटिल होता है। महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा कभी नहीं देखी जाती है और अधिकांश महिलाओं द्वारा इसे अमूर्त माना जाता है। प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने महिलाओं को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि जिन क्षेत्रों में महिलाएं काम करती हैं, उन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन पुरुषों से अलग है। शिक्षा तक अनुचित पहुंच महिलाओं की विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल सीखने की क्षमता को सीमित करती है। महिलाओं के कौशल के विकास में गतिशीलता की कमी, कम साक्षरता और कमजोर महिलाओं के दृष्टिकोण में बाधा आती है। वरिष्ठ अधिकारी इस बात से अवगत हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और जिसे हम महिलाओं का काम कहते हैं। आज दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक दुरुपयोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्रूरता है। घर के अंदर और अंदर महिलाओं की अनुपस्थिति हिंसा के भय का एक उत्पाद है। घर के बाहर संवेदनशीलता आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार यह मौजूदा कानून के छिद्रों को बंद करने, नीतियों पहलों योजनाओं के उचित और कुशल कार्यान्वयन के साथ–साथ प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र के संवेदीकरण का समय है ताकि बाधाओं को दूर किया जा सके और भारत में लैंगिक न्याय की उपलब्धि और अनब्लॉक किया जा सके। महिलाओं के नागरिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जागदृकता बढ़ाने के लिए कानून और प्रणालीगत सुधार के अलावा। एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए समग्र रूप से समाज की मानसिकता और दृष्टिकोण को भी संशोधित किया जाना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा का समान रूप से सम्मान और पहचान करता है और जो उनकी वैध स्वतंत्रता और अधिकारों का आनंद लेता है।

बिहार में महिलाओं की स्थिति : महिलाएं समाज का स्तंभ हैं। वे आधी आबादी का गठन करते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के अन्य स्थानों की तरह बिहार में भी महिलाओं को धार्मिक परंपराओं में सम्मान दिया जाता रहा है, उन्हें ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से समान नहीं माना गया है। हालाँकि, आधुनिक समय में भारतीय समाज के साथ–साथ बिहार में भी महिला लिंग के प्रति समानता और निष्पक्षता की भावना उभरनी शुरू हो गई है। महिलाओं के उत्थान और लैंगिक समानता और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सरकारों द्वारा विभिन्न अधिनियम और योजनाएं लागू की गई हैं।

बिहार सरकार द्वारा अधिनियम और योजनाएं :

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना : महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 2007–08 में पूरे राज्य में शुरू किया गया था। कार्यक्रम में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है। यह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक लंबी यात्रा शुरू करता है । यह उन मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से कई गतिविधियों को भी रेखांकित करता है जिन्हें अधिक आर्थिक और

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की खोज को बाधित करने वाली बाधाओं के रूप में देखा गया है। जैसे कि महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें शामिल करने के लिए हितधारकों की सीमित संस्थागत क्षमता ,लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण,कौशल और संसाधनों की कमी ,सुरक्षात्मक और सहायक सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच ।

एम. के. एस. वाई (मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना) : कन्या भृण हत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना नामक एक योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत, बिहार सरकार बीपीएल श्रेणी से संबंधित प्रत्येक बालिका के लिए 2000 रू रुपये का योगदान करती है और 22 नवंबर, 200762 को या उसके बाद जन्म लेती है। योजना का लाभ नीचे आने वाले प्रति परिवार दो लड़कियों तक सीमित है। गरीबी रेखा,महिला विकास निगम, पटना, बिहार द्वारा बिहार सरकार की ओर से रु.2000रू– की राशि यूको एवं आईडीबीआई बैंक में सावधि जमा में निवेश की गई है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जायेगा। बीच की अवधि में बालिका की मृत्यु होने की दशा में राशि का भुगतान महिला विकास निगम, बिहार को किया जायेगा। योजना ने इस वर्ष अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष को पूरा किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली लगभग 15 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ।

लिंग संसाधन केंद्र : जेंडर रिसोर्स सेंटर एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न नोडल विभागों के सहयोग और समन्वय के माध्यम से राज्य में चल रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और योजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। जेंडर रिसोर्स सेंटर–स्टेट की परिकल्पना विशेष रूप से वकालत, नवीन अनुसंधान और अध्ययन, डेटा बेस के निर्माण, संचार, प्रशिक्षण पूल के निर्माण और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संसाधन के रूप में कार्य करने के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई हैय इसके संदर्भ में तकनीकी जानकारी प्रदान करना कार्यान्वयन प्रक्रिया का समर्थन करेगा, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को सक्षम करेगा, इन अनुभवों का समर्थन और निर्माण करेगा और विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और समान मुद्दों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में काम करेगा। यह राज्य में महिला सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा देने और ऐसी योजनाओं तक महिलाओं और लड़कियों की पहुंच और पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए संसाधन सहायता प्रदान करेगा।

जीआरसी राज्य में महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाने और राज्य में लिंग संबंधी सभी पहलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों और सरकार के प्रयासों का समन्वय करेगा। जीआरसी क्षेत्र में अपने प्रयासों को अधिक सुव्यवस्थित, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों को एक ही स्थान पर विकसित करने और उन्हें संगठनों में साझा करने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जीआरसी का उद्देश्य सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को लैंगिक संवेदनशील कार्यक्रमों, नीतियों, कानूनों और योजनाओं की योजना बनाने, लागू करने और मूल्यांकन करने में मदद करना है।

जीआरसी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुसंधान प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करेगा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मौजूदा संरचनाओं ६ संस्थाओं के साथ संपर्क करेगा। जीआरसी समाज को प्रभावित करने वाली प्रतिगामी सामाजिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ–साथ जाग–कता सृजन कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए मीडिया रणनीतियों को भी तैयार करेगा। यह महिला विकास निगम की सहायता करेगा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा करने में संबंधित विभाग के साथ तालमेल से काम करेगा।

लैंगिक संसाधन केंद्र–लक्ष्य : बिहार में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्यायपूर्ण विकास के माध्यम से समाज से लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना।
विकासात्मक परिवर्तन की सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में जेंडर और जेंडर बजटिंग को मुख्यधारा में लाना। लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए राज्य और अन्य विकास एजेंटों के कार्यक्रमों के लिए लैंगिक संवेदनशील डिजाइन और कार्यान्वयन रणनीति। विकासात्मक प्रक्रियाओं का सकारात्मक और लैंगिक न्यायोचित प्रभाव जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को कम करता है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाली नीतियों की राज्य द्वारा स्वीकृति।

महिला विकास निगम, बिहार : महिला विकास निगम, बिहार 28 नवंबर, 1991 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को लागू करना और महिलाओं के विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को तैयार करना, बढ़ावा देना और लागू करना था। यह समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में काम करता हैं। सरकार बिहार का विजन राज्य में महिलाओं और किशोरियों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।डब्ल्यूडीसी ने समय के साथ अपनी दृष्टि विकसित की है और वर्तमान में अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों और पेशेवर और तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से महिलाओं और किशोरियों की उन्नति के लिए कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू कर रहा है।

दृष्टि और मिशन वक्तव्य : इसका विजन राज्य में महिलाओं और किशोरियों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसका मिशन बिहार राज्य में गरीब, वंचित महिलाओं और किशोरियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

बिहार राज्य में महिला अधिकारिता नीति (2015) : लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण किसी राष्ट्र या राज्य में विकास के प्रमुख संकेतक हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को समग्र परिवर्तन का एक अनिवार्य माध्यम बनना होगा। साथ ही, उन्हें उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार करके अपनी स्थिति में सुधार करना होगा। महिला सशक्तिकरण उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे अवसरों से निकटता से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्षों में इनमें से कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर, और पढ़ाई पूरी किए बिना मध्य विद्यालय छोड़ने की दर, अनुमानित आयु सीमा, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आदि दर्शाती है। अंतिम प्रगति की प्रवृत्ति । बिहार में पिछले एक दशक में देश में महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा

बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिला साक्षरता दर अभी भी कम हैय लिंगानुपात की दर कम है। बाल विवाह का प्रचलन बना हुआ है। प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप प्रजनन क्षमता अभी भी बहुत अधिक हैय उच्च मातृ मृत्यु दर की स्थिति बनी रहती है। निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती है। घरेलू हिंसा प्रचलित है और आजीविका में अपेक्षाकृत कम है। उनकी समग्र स्थिति और विकास में गुणात्मक सुधार अपेक्षित है। सशक्तिकरण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाओं की स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा के साथ सुधार हो और उनकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का विस्तार हो ।

बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ : 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज के संबंध में सभी मौजूदा कानूनों को निरस्त कर दिया और बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया, 1993 अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली ग्राम सभा ग्राम पंचायत की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यह प्रकोष्ठ सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है और गांवों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए स्वयं ग्राम सतर्कता समिति का गठन करता है जो विदेशों में पंचायत कार्य के लिए समिति है सेल समझौता करने वाले व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं थे ।
2. ग्राम पंचायत में लगभग 7000 की आबादी वाले एक गाँव का एक क्षेत्र या गाँवों का एक समूह या उसका हिस्सा शामिल हो सकता है।
3. ग्राम पंचायत को क्षेत्र की एकता, अखंडता और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी कार्य करने होंगे। इन कार्यों को तीस श्रेणियों में बांटा गया है, इसके अतिरिक्त सरकार समय–समय पर कोई अन्य कार्य इन्हें सौंप सकती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के अस्तित्व में आने के बाद बिहार में पंचायत के चुनाव लंबे समय तक नहीं हुए। 2001 में, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत 8471 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए बिहार में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। वर्ष 2006 में बिहार में नई राजनीतिक सत्ता के गठन के साथ ही सरकार ने देश में पहला ऐतिहासिक कानून बनाया, जिसके तहत एक–दूसरे का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। यानी बिहार में नई सरकार बनने के बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को कानून में संशोधन करके लागू किया गया जिसके तहत सरकार ने पंचायत जिला परिषद और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, बिहार पहला राज्य है ऐसा करने के लिए देश में।

बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. ग्राम पंचायत में सदस्यों की कुल सीटों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा ।
2. पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या यथासंभव लगभग होगी, लेकिन कुल सीटों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और आबादी की सभी तीन श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की समग्र सीमा के भीतर होगी।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
4. कुल और अनारक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

5. सभी आरक्षित और अनारक्षित सीटें मुझे राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बारी–बारी से आवंटित की जाएंगी ।
6. आरक्षण का सिद्धांत और आरक्षण का अनुपात पंचायत समिति, जिला परिषद और मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष पद के लिए भी लागू होगा।
7. प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच का पद सृजित कर ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्य को बहाल किया गया ।
8. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 8471 ग्राम पंचायतों के लिए मई और जून 2006 में पंचायत चुनाव हुए।

बिहार में राजनीतिक स्थिति और महिलाओं की भूमिका : राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो हर जगह अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। बिहार न केवल मानव संसाधनों के उपयोग में बल्कि महिलाओं को राजनीतिक स्थान देने में भी पिछड़ा हुआ है। 1950 से 2001 के चुनाव में बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.3 प्रतिशत रहा है, जो इस बात का संकेत है कि बिहार में महिला राजनेता राष्ट्रीय राजनीति में स्थिर, निरंतर और मजबूत पहचान महसूस नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी महिला को भी प्रेरित नहीं किया। खेलने के लिए और राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जैसे सभी क्षेत्रों में राज्य का भ्रष्टाचार और पिछड़ापन है। पुरुष प्रधान समाज भी उनकी सक्रिय भागीदारी के पक्ष में नहीं है और मीडिया ने महिलाओं के योगदान या उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर उजागर नहीं किया है। राबड़ी देवी संयोग से बिहार की मुख्यमंत्री बन गईं लेकिन वह बिहार में अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब विभिन्न प्रखंडों में पंचायत चुनाव के दौरान परिदृश्य बदल गया है, अध्ययन में पाया गया कि क्षेत्र की महिलाएं भाग ले रही हैं और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बना रही हैं, वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, यह एक नया चलन है क्योंकि इससे पहले इन महिलाओं की किसी भी तरह की रुचि नहीं थी। राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक प्रणाली। पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुष सदस्यों या क्षेत्र में प्रमुख जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित की जाती थी। उच्च जाति या वर्ग की कुछ महिलाओं या राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली परिवार की महिलाओं को छोड़कर महिलाओं ने स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से पता चलता है कि माननीय महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बिहार की महिलाओं ने परदा प्रणाली के बावजूद पूरे दिल से भाग लिया लेकिन आजादी के बाद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और राजनीति में उनके योगदान को भुला दिया गया जबकि महिलाओं में काफी संख्या में नए प्रवेश हुए हैं उम्मीदवार बड़ी संख्या में पुराने लोग भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी से बाहर हो गए हैं, जबकि वे लंबी राजनीतिक परंपरा वाले परिवारों से आते हैं, इस प्रकार के ड्रॉपआउट ने राजनीतिक प्रक्रिया से मोहभंग की डिग्री का संकेत दिया।

सन्दर्भ :

1. गांधी सिगा (2015), विकास और राजनीति में महिलाएं । श्रीलंका में बदलते हालात ऐलिस डब्ल्यू क्लार्क (एड।)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस – लिंग और राजनीतिक अर्थव्यवस्था ।
2. कल्पना कुमारी, एन., और कृष्णा कुमारी, ए. (2015) पंचायतों में उभरती महिला नेतृत्व में जाति और पितृसत्तादृ कर्नाटक से एक अध्ययन – मुंबई – टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान– ऋषिदृ वॉल्यूम द्य 37., नंबर 2 एल ।
3. गौतम साधु, चंद्र भूषण शर्मा (2019) वोटिंग बिहेवियर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन पंचायती राज इलेक्शनदृ ए केस स्टडी ऑफ द पेंडुर्थी समिति ऑफ विजाग– जिला परिषद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आंध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर।
4. तुलसीदास वी. (2019)., पंचायती राज संस्थान, अशोक मेहता समिति के मुद्दों, समस्याओं और सिफारिशों का विश्लेषण, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,
5. रविंदर, डी., (2019), पॉलिटिक्स ऑफ पंचायती राज– ए केस स्टडी ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश,अप्रकाशित थीसिस आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम ।
6. वीजी नांदेड़कर (2019), पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास को सक्रिय करना, एडसेमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली,